न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर–07 / 2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1–. नवीन पिता गोपाल अचारज निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

2– प्रथमेश पिता बाबूलाल अचारज निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

3– अभिनव पिता राजेश अचारज नाबा0 बवि0 माता मधु अचारज निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा –– प्रार्थीगण

बनाम

1– घीसीदेवी पत्नि लादूलाल अचारज निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

2– मुकेश पिता लादूलाल अचारज निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

3– उप पंजीयक महोदय बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा –**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री इकबाल मोहम्मद छीपा (वकील प्रार्थीगण)
पेरोकार सरकार (अप्रार्थी सं0 4)

निर्णय

दिनांक :–11.06 .2025

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज०काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:–

1–यह कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त अनवान का एक वाद विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया जो अवश्य स्वीकार होगा। यह कि प्रार्थीगण की दादी घीसीदेवी पत्नि लादूलाल अचारज (अप्रार्थी सं0 1) का पारिवारिक सजरा अनुसार घीसीदेवी के चार पुत्र गोपाल, बाबूलाल, मुकेश(अप्रार्थी सं0 2) व राजेश हुए। इनमें से प्रार्थी सं0 1 नवीन गोपाल का पुत्र, प्रार्थी सं0 2 प्रथमेश बाबूलाल का पुत्र व प्रार्थी सं0 3 अभिनव राजेश अचारज का पुत्र है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 व 02 आपस में माता, पुत्र व पौत्र है।

2–यह कि ग्राम बनेड़ा पटवार हल्का बनेड़ा प्रथम एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बनेड़ा तहसील बनेड़ा की सरहद में खाता संख्या 407 में आराजी नम्बर 5882 / 5400 रकबा 1.9223 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 01 घीसीबाई के नाम खातेदारी से दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के 1 / 3 हिस्सा आता है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 घीसीबाई के पौत्र होने से विधिक वारिसान होने से सम्पत्ति में जन्म से अधिकार है। विपक्षी संख्या 01 की दिमागी हालत ठीक नहीं होने से विपक्षी संख्या 01 व 02 आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। विपक्षीगण ने भूमि को बेचान कर दी तो प्रार्थीगण का वाद प्रस्तुत करना बेकार हो जाएगा तथा परिवार को भूखो मरने की नोबत आ सकती है । वादवर्णित आराजीयात पैतृक होकर अविभाजित सम्पदा है। प्रार्थीगण व परिवारजन उसी जायदाद में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं विपक्षीगण बची हुई जायदाद में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

3–यह कि वादवर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी एवं सामलाती होने से आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण से लड़ाई झगड़ा करते हैं व कब्जा करने की कोशिश करते हैं तथा भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर होने से बेचना व अन्य को हस्तान्तरण करना चाहती है। इस हेतु दिनांक 30.11.2024 को विपक्षीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने हेतु कहा परन्तु नहीं माना जिससे यह वादपत्र प्रस्तुत करने की

नोबत आई। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा वादवर्णित आराजीयात हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की फरमाई जावे कि प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से जबरन बेदखल नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावे तथा विभाजन नहीं हो जाता तब तक आराजीयात को किसी अन्य को रहन, बय विक्रय या किसी प्रकार से खुर्द बुर्द हस्तान्तरण नहीं करे तथा रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करे व मौके पर किसी प्रकार का बदलाव ना करे।

4–यह कि प्रार्थनापत्र दिनांक 18.03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 वावजूद तामील के हाजिर नहीं होने से इनके खिलाफ दिनांक 11.06.2025 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि प्रकरण एक तरफा होने से प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय वहस सुनी गई। वहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त सम्पदा होकर पैतृक सम्पत्ति होने से प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार है। वादवर्णित आराजीयात हमारी दादी घीसीदेवी के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। हम प्रार्थीगण विपक्षी सं0 1 के पौत्र होने से वादवर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार उत्पन्न होने से हमारा हक हिस्सा होकर मौके पर उपयोग उपभोग कर रहे हैं परन्तु आराजीयात अप्रार्थी संख्या 01 घीसीबाई के नाम पर दर्ज होने का फायदा उठाकर विपक्षी आराजीयात को रहन, बय विक्रय करने पर आमादा होने से अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराना फरमावें अन्यथा हम प्रार्थीगण का वाद प्रस्तुत करना असफल हो जाएगा तथा मुकदमेबाजी बढेगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा विपक्षीगण को वादवर्णित आराजीयात को रहन, बय, विक्रय नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे।

4–हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न ग्राम बनेड़ा पटवार हल्का बनेड़ा प्रथम की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के नवीन खाता संख्या 407 में दर्ज आ0नं0 5882/5400 रकवा 1.9223 हैक्टर भूमि घीसीदेवी पत्नि लादूलाल ब्राह्मण सा0देह के नाम पर एवं जमावन्दी सम्वत् 2073 के नवीन खाता संख्या 397 में आ0नं0 5882/5400 रकबा 7 बीघा 12 विस्वा भूमि घीसीदेवी पत्नि लादूलाल अचारज (ब्राह्मण) के नाम खातेदारी से दर्ज होना सिद्ध होता है। इस प्रकार वादवर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति होना सिद्ध होता है। परन्तु प्रार्थीगण का हक हिस्सा वाद में निर्धारण किया जाएगा। पक्षकारान में मुकदमेबाजी ओर अधिक नहीं वढे इसके लिए विपक्षी संख्या 01 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना उचित होगा अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय, 1955 स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अतएव–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बनेड़ा पटवार हल्का बनेड़ा प्रथम की आराजी नम्बर 5882/5400 रकबा 1.9223 हैक्टर को मूलवाद के निस्तारण तक किसी अन्य को रहन विक्रय हस्तान्तरण /खुर्द बुर्द नहीं करे व न किसी अन्य से करावे एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट न तो स्वयं पैदा करें न किसी अन्य से करावें। रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखे।

निर्णय आज दिनांक 11-06-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा